

शत्रुशैल्य दिग्विजय सिंह जडेजा

बनाम

आयकर आयुक्त, राजकोट

1 सितंबर, 2005

[बी. पी. सिंह और एस. एच. कपाडिया, न्यायाधिपतिगण]

कर विवाद समाधान योजना, 1998 - धारा 90, 87 और 88 - 1998 की योजना के तहत निर्धारिती द्वारा दायर की गई घोषणाये निरस्त की गई - उसने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें घोषणाओं को सक्षम मानते हुए, नामित प्राधिकरण (डी. ए.) को धारा 90 के तहत देय राशि और उस पर देय ब्याज निर्धारित करने का निर्देश दिया - ब्याज के भुगतान के लिए अतिरिक्त निर्देश - चुनौती - अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय ने निर्धारिती को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देने में गलती की, विशेष रूप से जब विभाग ने धारा 88 डीए के तहत दायर घोषणाओं को गलत तरीके से खारिज कर दिया था और उसे देय राशि का निर्धारण करना था और उस उद्देश्य के लिए, कर बकाया के साथ-साथ विवादित राशि का निर्धारण करना था, जेसा कि धारा 87 (एफ) के तहत परिभाषित है - इस तरह की कवायद पूरी होने तक, निर्धारिती कर का भुगतान नहीं कर सकता था, इसलिए वह ब्याज

का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था क्योंकि उसका दायित्व धारा 90 के तहत देय राशि का पता लगाने के बाद ही उपार्जित था।

अपीलार्थी-निर्धारिती ने कर विवाद समाधान योजना, 1998 के तहत उसके द्वारा की गई घोषणा की अस्वीकृति के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने घोषणा को सक्षम माना और नामित प्राधिकरण (डी. ए.) को योजना की धारा 90 के तहत देय राशि निर्धारित करने का निर्देश दिया। हालांकि, इसने एक अतिरिक्त निर्देश दिया जिससे अपीलार्थी को धारा 90 के तहत देय राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया।

वर्तमान अपीलों में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया अतिरिक्त निर्देश अवैध था और कानून के अधिकार के बिना था।

अपीलों को स्वीकार करते हुये न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया -

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 ने कर विवाद समाधान योजना 1998 नामक एक योजना शुरू की। यह वसूली योजना थी। योजना के अंतर्गत दिनांक 31.3.1998 को कर बकाया होने चाहिये थे। धारा 87 (एफ) के अनुसार, "विवादित कर" को कुल कर निर्धारित करने के लिए परिभाषित किया गया था और निर्धारण वर्ष के संबंध में आई. टी. अधिनियम/धन कर अधिनियम के तहत देय होती है, लेकिन जो घोषणा

करने की तारीख तक भुगतान नहीं किया गया था, जिससे धारा 90 के तहत टी. डी. एस., स्व-निर्धारित कर, भुगतान किए गए अग्रिम कर, यदि कोई हो, की कटौती की जानी थी; डी. ए. को देय राशि निर्धारित करनी थी और उस उद्देश्य के लिए, उसे बकाया कर के साथ-साथ धारा 87 (एफ) के तहत परिभाषित विवादित राशि को निर्धारित करना था। इस प्रकार, डीए को बकाया कर, विवादित राशि और मूल्यांकन के प्रत्येक वर्ष के लिये देय राशि का आकलन करना था। उस अपील को धारा 90 के तहत आदेश के खिलाफ रोक दिया गया था कि ऐसा निर्धारण घोषणाकी प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर किया जाना था और उसके आधार पर डीए को एक प्रमाण पत्र जारी करना था। दूसरे शब्दों में, उपरोक्त प्रक्रिया के पूरा होने तक, अपीलार्थी द्वारा कर की राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता और इसलिये अपीलकर्ता ब्याज का भुगतान करने के लिये उत्तरदाई नहीं था क्योंकि उसकी देनदारी केवल धारा 90 के तहत देय राशि के निर्धारण के बाद ही अर्जित हुई थी। इसलिये, अपीलकर्ता को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अतिरिक्त निर्देश को रद्द किया जाता है, विशेष रूप से जब विभाग ने धारा 88 के तहत दायर घोषणाओं को गलत तरीके से खारिज कर दिया था। [1117-जी-एच, 1118-ए-बी-सी-डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 4403 - 4410/

2003

एस. सी. ए. सं. 2020 / 1999 में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 25.9.2002 से।

एम. एल. वर्मा, भार्गव वी. देसाई, संजीव कुमार सिंह, सुश्री शीनम परवांडा और सत्य मित्रा, अपीलार्थी के लिए।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. पी. पाठक, हरीश चंद्र, तुफैल ए. एफ. खान और बी. वी. बलराम दास, प्रतिवादी के लिये।

न्यायालय का निर्णय कपाडिया न्यायाधिपति द्वारा पारित किया गया था।

विशेष अनुमित द्वारा ये अपीलें गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा के निर्णय दिनांक 25.9.2002 में दिए गए एक अतिरिक्त निर्देश के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसमें अपीलार्थी को कर विवाद समाधान योजना, 1998 (संक्षेप में "योजना") के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले कर बकाया (संक्षेप में "डी. ए.") पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।

अपीलार्थी ने उक्त योजना के तहत निर्धारिती द्वारा की गई घोषणाओं की अस्वीकृति को खारिज करने के विरुद्ध गुजरात उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की।

विवादित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलाकर्ता द्वारा यहां दायर की गई घोषणाएं सक्षम थी क्योंकि करदाता

के पुनरीक्षण आवेदन घोषणाएं दाखिल कने की तारीख पर लंबित थे। इसलिए, विभाग को घोषणाओं पर विचार करने, देय राशि निर्धारित करने और धारा 90 (1) के तहत प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया गया था।

गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित 25.9.2002 के निर्णय को विभाग इस न्यायालय के समक्ष द्वारा सिविल अपील संख्या 4411/2003 के माध्यम से चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय द्वारा आज सुनाये गये निर्णय द्वारा, हमने गुजरात उच्च न्यायालय के उस निर्णय को बरकरार रखा है, जिसमें यह कहते हुये कि योजना की धारा 88 के तहत निर्धारिती द्वारा दायर की गई घोषणाएं सक्षम थी और जिसमें कहा गया है कि योजना की धारा 88 के तहत निर्धारिती द्वारा दायर घोषणाएं सक्षम थीं और उच्च न्यायालय ने योजना की धारा 90 (1) के तहत देय राशि निर्धारित करने के लिए डीए को निर्देश देने में सही था।

इन अपीलों में, अपीलार्थी की एकमात्र शिकायत यह है कि आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलकर्ता को धारा 90 के तहत देय राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराने वाला अतिरिक्त निर्देश अवैध और कानून के अधिकार के बिना था।

श्री एम. एल. वर्मा, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि योजना के तहत, उन मामलों में ब्याज वसूलने का कोई प्रावधान नहीं था जहां डी. ए. ने धारा 88 के तहत निर्धारिती द्वारा दायर घोषणाओं को स्वीकार करने से गलत तरीके से इनकार कर दिया

था, जैसा कि उच्च न्यायालय ने पाया । उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता को दोष नहीं दिया जा सकता है, विशेष रूप से तब तक यह पाया जाता है कि डीए ने धारा 88 के तहत दायर घोषणाओं को खारिज करने में गलती की थी; आक्षेपित निर्णय के अनुसार, डी. ए. को धारा 90 के तहत मूल्यांकन करने और उस आधार पर देय राशि निर्धारित करने की आवश्यकता थी जिसके आधार पर डी. ए. को प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता थी और उस आधार पर अपीलार्थी को उस राशि का भुगतान करना था; अपीलार्थी को उस राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है, जो डीए की ओर से त्रुटि के लिये प्रासंगिक समय पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था और इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अतिरिक्त निर्देश को रद्द कर दिया जाना चाहिये।

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 ने कर विवाद समाधान योजना 1998 नामक एक योजना शुरू की। यह वसूली योजना थी। योजना के अंतर्गत दिनांक 31.3.1998 को कर बकाया होने चाहिये थे। धारा 87 (एफ) के अनुसार, "विवादित कर" को कुल कर निर्धारित करने के लिए परिभाषित किया गया था और निर्धारण वर्ष के संबंध में आई. टी. अधिनियम/धन कर अधिनियम के तहत देय होती है, लेकिन जो घोषणा करने की तारीख तक भुगतान नहीं किया गया था, जिससे धारा 90 के तहत टी. डी. एस., स्व-निर्धारित कर, भुगतान किए गए अग्रिम कर,

यदि कोई हो, की कटौती की जानी थी; डी. ए. को देय राशि निर्धारित करनी थी और उस उद्देश्य के लिए, उसे बकाया कर के साथ-साथ धारा 87 (एफ) के तहत परिभाषित विवादित राशि को निर्धारित करना था। इस प्रकार, डीए को बकाया कर, विवादित राशि और मूल्यांकन के प्रत्येक वर्ष के लिये देय राशि का आकलन करना था। उस अपील को धारा 90 के तहत आदेश के खिलाफ रोक दिया गया था कि ऐसा निर्धारण घोषणाकी प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर किया जाना था और उसके आधार पर डीए को एक प्रमाण पत्र जारी करना था। दूसरे शब्दों में, उपरोक्त प्रक्रिया के पूरा होने तक, अपीलार्थी द्वारा कर की राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता और इसलिये अपीलकर्ता ब्याज का भुगतान करने के लिये उत्तरदाई नहीं था क्योंकि उसकी देनदारी केवल धारा 90 के तहत देय राशि के निर्धारण के बाद ही अर्जित हुई थी।

उपरोक्त वर्णित कारणों से, इस मामले के तथ्यों पर, हम अपीलार्थी को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देने वाले विवादित निर्णय द्वारा दिए गए अतिरिक्त निर्देश को अपास्त करते देते हैं, विशेष रूप से जब विभाग ने धारा 88 के तहत दायर घोषणाओं को गलत तरीके से खारिज कर दिया था।

तदनुसार, अपीले स्वीकार की जाती हैं, लागत बाबत कोई आदेश नहीं।

अपीले स्वीकार की गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिये उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारित एवं व्यवहारिक उद्देश्यो के लिये उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।